

प्रति,

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- जबलपुर जिले के अंतर्गत हिरन मीडियम टैंक प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 54.87 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-05/2019-FC दिनांक 10.07.2019

—0—

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 10.07.2019 से सैद्धान्तिक अनुमोदन जारी किया गया है। इस प्रस्ताव में जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित है:-

S.No.	Description	Compliance
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	मान्य है।
(ii)	The CA land has to be resurveyed and one strip of 11 ha on the north portion should be included in CA and the forest land which is shown in DSS as part of CA land shall be excluded before Stage-II approval;	पूर्व में आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि तथा वन सीमा के बीच कुछ भूमि छूट रही थी। इस भूमि को लेने के लिये भारत सरकार द्वारा शर्त अधिरोपित की गई है। आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम तौरी की भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर खसरा नम्बर 01 रकबा 79.54 हेक्टेयर गैर वन भूमि चार खण्डों में बांटकर (खण्ड ए -13.00 हेक्टेयर, खण्ड-बी. - 23.87 हेक्टेयर, खण्ड-सी - 10.00 हेक्टेयर खण्ड-डी - 08.00 हेक्टेयर) कुल 54.87 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित गैर वन भूमि वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई है। इस गैर वनभूमि को वन विभाग द्वारा अधिपत्य में ले लिया गया है। नवीन आवंटित भूमि अब पूरी तरह वन सीमा से लगी हुई है। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि एवं वन सीमा के बीच किसी भी प्रकार की 11.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि अब पट्टी के रूप में मौजूद नहीं है। नवीन आवंटित वनभूमि की KML फाईल प्रस्ताव के भाग-2 में म्यूटेशन के कॉलम में देखी जा सकती है।

(iii)	The fresh KML file of the CA land has to be submitted and the CA land shall be fenced by the user agency before handing over to Forest department before Stage-I approval;	नवीन आवंटित वनभूमि की KML फाईल प्रस्ताव के भाग-2 में म्यूटेशन के कॉलम में अपलोड कर दी गई है। आवेदक संस्था द्वारा फेंसिंग कार्य के लिये वन विभाग को रु. 88,64,937/- का आवंटन कर दिया गया है। इस गैर वनभूमि की फेंसिंग का कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
(iv)	Land use plan has to be submitted before stage-II approval;	प्रस्ताव में चाही गई वन भूमि के उपयोग की जानकारी संलग्न है।
(v)	Diversion will be for the period of 50 years;	सहमत।
(vi)	Compensatory Afforestation :-	
a)	The Compensatory Afforestation shall be taken up by the State Forest Department over 54.87 ha. Non-forest land/ degraded forest land (Compartment no. / Khasra No. 1. Village Tauri 026 Tehsil kundam District-Jabalpur) at the cost of the user Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided;	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये 54.87 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध करा दी गई है। वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में पूर्व से ही वन मौजूद है। अतः इस गैर वनभूमि पर रोपण करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण प्रस्ताव में आवश्यक 55,000 पौधें दुगने बिगड़े वनों में रोपित किये जायेंगे। इस हेतु कक्ष क्रमांक पी-51 60 हेक्टेयर रकबे में 55,000 पौधें रोपित करने की योजना तैयार कर आवेदक संस्था से यह राशि ऑनलाईन जमा करवा ली गई है।
b)	The non forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department and notified as FR/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian forest Act. 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be. Will be submitted by the State Government prior to State-II approval;	न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2018-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717 /प्र.वा.अ. कलेक्टर /2018 दिनांक 07/12/2018 से गैर वन भूमि का नामान्तरण किया गया है एवं राजस्व अभिलेखों से तदाशय का सुधार कर दिया गया है। यह अभिलेख प्रस्ताव के भाग-2 में म्यूटेशन के कॉलम में अपलोड कर दिये गये हैं।
(vii)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि रु. 1,68,14,250.00/- ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की जा चुकी है।

(viii)	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government;	वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में पूर्व से ही वन मौजूद है। अतः इस गैर वनभूमि पर रोपण करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण प्रस्ताव में आवश्यक 55,000 पौधें दुगने बिगड़े वनों में रोपित किये जायेंगे। अतः नोडल अधिकारी स्तर से स्थल रोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
(ix)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale;	मानचित्र संलग्न है।
(x)	Net Present Value (NPV) :-	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 54.87 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2020, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	एन.पी.व्ही. की राशि 3,43,48,620.00 ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की जा चुकी है।
b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xi)	The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 if required;	मान्य है।
(xii)	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय विभागों से विदोहन की राशि प्राप्त नहीं की जाती है। प्रस्ताव में विदोहन का कार्य वन विभाग के मद से किया जावेगा।

(xiii)	The copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8 (i) of Forest (Conservation) Act, 1980 Handbook, if applicable, the commensurate cost of CAT plan will be deposited in the CAMPA account through e-portal;	"कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान" की राशि रुपये 16170000/- की तकनीकी स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-3/79/2016/10-11/9 /50 दिनांक 14/10/2020 से प्राप्त होकर एवं आपके द्वारा पत्र क्रमांक/डी.एम./4238 जबलपुर दिनांक 23/10/2020 के द्वारा प्रदाय मांग पत्र के परिपालन में हिरन जल संसाधन संभाग द्वारा बैंक नं. ई-549091 दिनांक 21/10/2020, यू.टी. आर. नम्बर SBIN220295136836 राशि 1,61,70,000/- कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है। "कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान" की प्रति संलग्न है।
(xiv)	The State Government shall ensure that the forest land located between FRL and the FRL-4 meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species;	मान्य है।
(xv)	The user Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xvi)	The user agency shall provide free water for the forestry related projects;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xvii)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	प्रस्तावित वन भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिकारी के व्यवस्थापन का प्रमाण पत्र कलेक्टर जबलपुर द्वारा जारी किया गया जो कि संलग्न है।
(xviii)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ Deposited to CAMPA fund only through <i>e-portal</i> (https://parivesh.nic.in/)	मान्य है। सभी भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से किये गये हैं।
(xix)	The compliance report shall be uploaded on <i>e-portal</i> (https://parivesh.nic.in/)	मान्य है।
(xx)	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xxi)	No construction of buildings / labour camp/ huts shall be allowed on the forest land;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xxii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department of person;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

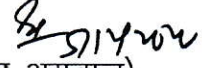
(xxiii)	The State Government ensure that the user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R plan will be monitored by the State Government/ Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	मान्य है।
(xxiv)	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting tress are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xxv)	The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xxvi)	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xxvii)	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
xxviii)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

(xxix)	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
(xxx)	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal (NGT) order(s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project;	मान्य है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त के संबंध में दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार शर्तवार प्राप्त पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार, की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

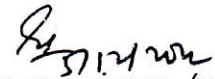
भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-3/79/2016/10-11/9/ 4180
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 05/12/2020

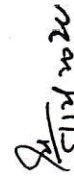
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
 2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 3. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
 4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
 5. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
 6. कार्यपालन यंत्री, हिरन, जल संसाधन संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अप्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

PROFORMA FOR VERIFICATION OF DEPOSITS IN COMPENSATORY AFFORESTATION FUND

1	Name of Regional Office	Bhopal
2	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates	State : M.P. District : Jabalpur Division : Jabalpur
3	Name of User Agency, nature of proposal	WRD
4	nature and category of proposal	Irrigation
5	Proposal number	FP/MP/IRRIG/20767/2016
6	Extent of forest area involved	54.87 ha.
7	Whether original or extension	Original
8	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so, specify	NA
9	Date of 1st stage clearance	10-07-2019
10	Extent of CAMPA charges, head wise viz.:	
	(a) Compensatory Afforestation:	a) 1,68,14,250 /-
	(b) Additional CA	b) N/A
	(c) Penal CA	c) N/A
	(d) Catchment Area Treatment	d) 1,61,70,000/-
	(e) NPV for Wildlife Area	e) N/A
	(f) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	f) N/A
	(g) Net Present Value	g) 3,43,48,620 /-
	(h) Any Other Charges /levies (Penal Net Present Value)	h) N/A
	Total	6,73,32,870/-

11	Whether payment made through challan of otherwise in case of online payment details of challan				Through Challan		
12	Details of deposits						
S No.	Type of deposit (NPV/CA/IWMP/Others (specify))	Whether by RTGS/DD/NEFT (specify)	UTR / DD No.	Amount deposited (Rs.)	Date of deposit	Name of Bank from which amount transferred to account of CAF	Bank Account of CAF managed by CAMPA in which fund deposited
1	CA	RTGS/NEFT		1,68,14,250	06/08/2020	Corporation Bank, New Delhi -110003	Corporation Bank
2	Catchment Area Treatment Plan			1,61,70,000	21/10/2020		
4	NPV			3,43,48,620	06/08/2020		
Total				6,73,32,870/-			


 (Sunil Agarwal)
 APCCF (Land Management)
 & Nodal officer FCA
 Madhya Pradesh, Bhopal

क्र०/डी०एम०/६५७५
प्रति,

जबलपुर दिनांक 5/12/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल।

विषय :- हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टेज-1 की स्वीकृति की शर्तों का पालन प्रतिवेदन के संबंध में।
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/डी.एम./1590 दिनांक 04/12/2020.

—000—

विषयान्तर्गत भारत शासन द्वारा अध्यारोपित शर्त में उल्लेखित प्राप्त गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के संबंध में निवेदन है कि उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि ग्राम तौरी खसरा नं० 01 रकबा 79.54 हे० में से 54.87 हे० भूमि प्राप्त कर ली गई है। मेरे द्वारा मौका मुआयना दिनांक 01/12/2020 को किया गया है। प्राप्त गैर वन भूमि पर 0.4 से अधिक घनत्व का रागौन वन है। अतः इस प्राप्त गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण की गुंजाईश नहीं है। अतः गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण नहीं कराया जाकर परिक्षेत्र पनागर के बिगड़े वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 51 के रकबा 60 हे० में 55000 पौधों का रोपण किया जाना है इस हेतु वृक्षारोपण की राशि 1,68,14,250/- प्राप्त कर ली गई है।

इसी प्रकार प्राप्त की गई गैर वन भूमि के फेंसिंग कार्य के संबंध में निवेदन है कि उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि के फेंसिंग कार्य हेतु राशि 88,64,937/- प्राप्त कर ली गई है एवं फेंसिंग कार्य, मुनारा निर्माण आदि की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।

वन मंडल अधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर

जबलपुर दिनांक 5/12/2020

पृष्ठांकन क्र०/डी०एम०/६५७५

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित

16/12/20

वन मंडल अधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर

Sl. No.	Description	पालन में की गई कार्यवाही	संलग्न अभिलेख / दस्तावेज
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	मान्य है।	
(ii)	The CA land has to be resurveyed and one strip of 11 ha on the north portion should be included in CA and the forest land which is shown in DSS as part of CA land shall be excluded before Stage-II approval;	भारत सरकार की शर्त के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किया गया है। प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम तौरी की भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर खसरा नम्बर 01 रकबा 79.54 हेक्टेयर गैर वन भूमि चार खण्डों में बांटकर (खण्ड ए - 13.00 हेक्टेयर, खण्ड-बी - 23.87 हेक्टेयर, खण्ड-सी - 10.00 हेक्टेयर, खण्ड-डी - 08.00 हेक्टेयर) कुल 54.87 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित गैर वन भूमि वनीकरण हेतु आवंटित की गई है। नवीन आवंटित भूमि अब पूरी तरह वन सीमा से लगी हुई है। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि एवं वन सीमा के बीच किसी भी प्रकार की 11.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि अब पट्टी के रूप में मौजूद नहीं है। नवीन आवंटित वनभूमि को KML फाईल प्रस्ताव के भाग-2 में म्यूटेशन के कॉलम में देखी जा सकती है।	
(iii)	The fresh KML file of the CA land has to be submitted and the CA land shall be fenced by the user agency before handing over to Forest department before Stage-II approval;	नवीन आवंटित वनभूमि को KML फाईल प्रस्ताव के भाग-2 में म्यूटेशन के कॉलम में अपलोड कर दी गई है। इस गैर वनभूमि की फेंसिंग का कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। फेंसिंग कार्य के लिये राज्य शासन द्वारा वन विभाग को रु. 88,64,937/- का आवंटन कर दिया गया है।	
(iv)	Land use plan has to be submitted before stage-II approval;	प्रस्ताव में चही गई वन भूमि के उपयोग की जानकारी संलग्न है।	परिशिष्ट-1
(v)	Diversion will be for the period of 50 years;	सहमत	
(vi)			
a)	The Compensatory Afforestation shall be taken up by the State Forest Department over 54.87 ha. Non-forest land/ degraded forest land (Compartment no. / Khasra No.	सहमत है।	

	1. Village Tauri 026 Tehsil kundam District- Jabalpur) at the cost of the user Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided;		
b)	The non forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department and notified as FR/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian forest Act. 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be. Will be submitted by the State Government prior to State-II approval;	न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2018-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717 /प्र.वा. अ. कलेक्टर /2018 दिनांक 07/12/2018 से गैर वन भूमि का नामान्तरण किया गया है एवं राजस्व अभिलेखों से तदाशय का सुधार कर दिया गया है। यह अभिलेख प्रस्ताव के भाग-2 में म्यूटेशन के कॉलम में अपलोड कर दिये गये हैं।	परिशिष्ट-2
(vii)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि रु. 1,68,14,250.00/- ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की जा चुकी है।	
(viii)	The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) in	वन विभाग से संबंधित है।	


 ६६

	the State Government;		
(ix)	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale;	मानचित्र संलग्न है।	परिशिष्ट-3
(x)			
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 54.87 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2020, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	एन.पी.व्ही. की राशि 3,43,48,620.00 ऑनलाईन CAMPA मद में जमा की जा चुकी है।	
b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	मान्य है। इस शर्त के संबंध में वचन पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-4
(xi)	The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 if required;	मान्य है।	
(xii)	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	वनमण्डलाधिकारी जबलपुर के पत्र क्रमांक/डी.एम./4241 जबलपुर दिनांक 23/10/2020 के द्वारा डूबक्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षों का विदोहन योजना तैयार कर राशि 13,61,461/- का मांग	परिशिष्ट-5

R
६६

		पत्र प्रदाय किया गया है। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र. एफ. -11/समन्वय/2020/10-11/3876 भोपाल दिनांक 17.11.2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है, कि उक्त सिंचाई परियोजना मध्यप्रदेश शासन की होने से विदोहन व्यय नहीं लिया जाना है। इस आशय का पत्र संलग्न है।	
(xiii)	The copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8 (i) of Forest (Conservation) Act, 1980 Handbook, if applicable, the commensurate cost of CAT plan will be deposited in the CAMPA account through e-portal;	“कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान” की राशि रुपये 16170000/- की तकनीकी स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश क्रमांक /एफ-3/79/2016/10-11/9 /50 दिनांक 14/10/2020 से प्राप्त होकर एवं आपके द्वारा पत्र क्रमांक/डी.एम./4238 जबलपुर दिनांक 23/10/2020 के द्वारा प्रदाय मांग पत्र के परिपालन में हिरन जल संसाधन संभाग द्वारा चैक नं. ई-549091 दिनांक 21/10/2020, यू.टी.आर. नम्बर SBIN220295136836 राशि 1,61,70,000/- कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है। “कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान” की प्रति संलग्न है।	परिशिष्ट-6
(xiv)	The State Government shall ensure that the forest land located between FRL and the FRL-4 meters may be afforested by planting appropriate indigenous tree species;	मान्य है।	
(xv)	The user Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;	मान्य है। वचनपत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-7
(xvi)	The user agency shall provide free water for the forestry related projects;	मान्य है। वचनपत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-8
(xvii)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	प्रस्तावित वन भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिकारी के व्यवस्थापन का प्रमाण पत्र कलेक्टर जबलपुर द्वारा जारी किया गया जो कि संलग्न है।	परिशिष्ट-9
(xviii)	All the funds received from the user agency under the project shall be	मान्य है। सभी भुगतान ई-पोर्टल के माध्यम से किये गये हैं।	

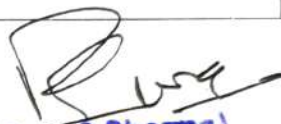
	transferred/ Deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)			
(xix)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	मान्य है।		
(xx)	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।		परिशिष्ट-10
(xxi)	No construction of buildings / labour camp/ huts shall be allowed on the forest land;	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।		परिशिष्ट-11
(xxii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department of person;	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।		परिशिष्ट-12
(xxiii)	The State Government ensure that the user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R plan will be monitored by the State Government/ Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	मान्य है।		
(xxiv)	User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।		परिशिष्ट-13



	area being diverted for the project;		
(xxv)	The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-14
(xxvi)	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates.	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-15
(xxvii)	The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future;	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-16
(xxviii)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority;	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-17
(xxix)	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-18
(xxx)	The user agency and the State Government shall ensure compliance to	मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट-19



	provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal (NGT) order(s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project;		
--	---	--	--


 (Ram.S.Sharma)
 Executive Engineer,
 Hiran Water Resources Division
 Jabalpur (M. P.)

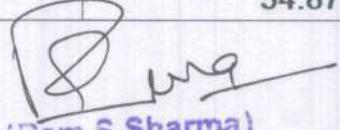
परिशिष्ट-1

शर्त- iv

Land use plan has to be submitted before stage-II approval:

उपयोगकर्ता एजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के डूबक्षेत्र से प्रभावित वन क्षेत्रफल 54.87 हेक्टेयर के भूमि उपयोग की योजना इस प्रकार है-

स.क.	वन भूमि उपयोग की योजना	वन क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	बांध निर्माण कार्य	0.44
2	वेस्टवियर निर्माण कार्य	1.00
3	डूबक्षेत्र	53.43
	कुल वनक्षेत्र	54.87


(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

न्यायालय कलेक्टर जबलपुर
न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) का राजस्व प्रकरण क्र./01/अ-19(3)/2017-18
संशोधित आदेश

पारित आदेश दिनांक ³⁷⁷ 2/12/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा पत्र क्र. क्यू. दिनांक 03.10.2017 प्रेषित कर जबलपुर जिला अंतर्गत विकास खण्ड कुण्डम में प्रस्तावित छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि 69.55 हे. के बदले ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.176 रकवा 31.16 हे., खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 ख.नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने की मांग की गई है।

भूमि हस्तांतरण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 तहसीलदार कुण्डम के प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 से सहमत होते हुए प्रेषित किया है। तहसीलदार कुण्डम ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इशतहार का प्रकाशन किया गया। जिसमें किसी भी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम किवलारी स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.57 हे. मद शासकीय बड़े झाड़ का जंगल चराई एवं इमारती लकड़ी के लये दर्ज है एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि मद शासकीय हस्तांतरित किया जाना उचित होगा। संयुक्त रूप से वन विभाग, राजस्व विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। संयुक्त मौका निरीक्षण में समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम किवलारी प.ह.नं. 18 स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि कुल रकवा 151.67 हे. वनीकरण एवं हस्तांतरण हेतु उपयुक्त पाई गई।

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार क्र.1 कंडिका 36 के अनुसार ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.175 रकवा 31.16 हे. खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. कुल रकवा 151.87 हे. में से 139.10 हे. भूमि वन विभाग को छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में म.प्र. शासन, वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क व सशर्त हस्तांतरित की जाती है :-

1. भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं होगा अथवा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

2. शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

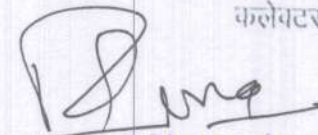
(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर

पृ.क्र. 8217/प्रवाअ.कले-.../2018 जबलपुर दिनांक 7-12-18

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र.क्यू. दिनांक 03.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. तहसीलदार कुण्डम को सूचनार्थ उपरोक्त आवंटित भूमि का खसरा पांच साला एवं, नक्शे की प्रति 1 सप्ताह की समय सीमा में इस न्यायालय को उपलब्ध कराये ताकि प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सके।
7. प्रवाचक कलेक्टर, न्यायालय जबलपुर को सूचनार्थ।
8. प्रवाचक, अपर कलेक्टर, प्रथम/द्वितीय जबलपुर को अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर



(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

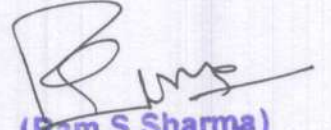
PRINTED AT THE SOUTHERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA

परिशिष्ट-4

शर्त- x(b)

UNDERTAKING

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency promise to pay additional amount of NPV.



(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/ एफ-11/ समन्वय /2020/ 10-11/ 3876 भोपाल, दिनांक 17-11-20

प्रति,

वनमंडलाधिकारी (सामान्य),
वनमंडल जबलपुर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले वन में वृक्षों के विदोहन की राशि से छूट प्रदान करने विषयक।

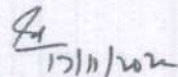
- संदर्भ:-** 1. वनमंडलाधिकारी जबलपुर का पत्र क्रमांक/डीएम/4241 दिनांक 23/10/2020
2. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर का पत्र क्रमांक/2868/कार्य./2020 दिनांक 12/11/2020.

-----0-----

विषयांकित सिंचाई परियोजना में आपके उक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा वृक्षों के विदोहन हेतु राशि रुपये 13,61,461.00/- की मांग की गई है। उल्लेखनीय है की म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-25-13/2016/10-3 दिनांक 22/04/2016 से निर्देश प्रसारित किये हैं की म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि में स्थित वृक्षों के पातन संबंधी कार्य वन विभाग द्वारा अपने व्यय पर ही कराना सुनिश्चित करेगा।

शासन के उक्त निर्देश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ एफ-11/2016/10-11/1025 दिनांक 11/05/2016 से समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारियों को प्रेषित किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार स्पष्ट है की उक्त सिंचाई परियोजना म.प्र. शासन की होने से वदोहन व्यय नहीं लिया जाना है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

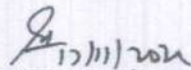

(सुनील अग्रवाल)

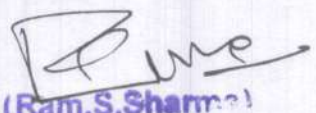
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/ एफ-11/ समन्वय/ 2020/ 10-11/ 3877
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17-11-20

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र (2) के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer

Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-11/2016/10-11/1025 भोपाल, दिनांक 11.5.2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।
2. समस्त वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।

विषय:-शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय का वहन बावत्।

संदर्भ:-म0प्र0 शासन, वन विभाग का पत्र क्र./एफ-25-13/2016/10-3, दि. 22.04.2016

—0—

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय के वहन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन के विभागों के लिए व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् व्यपवर्तित की गई वन भूमि में स्थित वृक्षों के पातन संबंधी कार्य वन विभाग अपने व्यय पर ही कराना सुनिश्चित करेगा, जिसमें वृक्षों के चिन्हांकन से लेकर काष्ठ परिवहन तक के समस्त कार्यों का व्यय शामिल होगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Dudh 6/5/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ0 क्रमांक/एफ-11/2016/10-11/
प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. कक्ष प्रभारी, सिंचाई/विद्युत/विविध/खनिज, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-25-13/2016/10-3, दिनांक 22.04.2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया पत्र में दर्शाये अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(अनुक्र. 1 से 5)

Dudh 6/5/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

Ram S. Sharma
(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

2
3

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक/एफ-25-13/2016/10-3
प्रति,

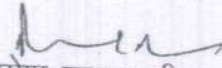
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2016

समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाले
वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय का वहन बाबत।

—0—
वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि में
स्थित वृक्षों का विदोहन व्यय का वहन संबंधित उपयोगकर्ता विभाग/संस्थान से लिया जाता
है। चूँकि राज्य शासन के विभिन्न विभाग राज्य की संचित निधि से ही राशि प्राप्त करते
हैं।

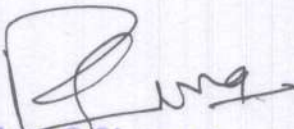
अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन
के विभिन्न विभागों के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात
व्यपवर्तित की गई वन भूमि में स्थित वृक्षों के पातन संबंधी कार्य वन विभाग अपने व्यय पर ही
कराना सुनिश्चित करेगा, जिसमें वृक्षों के चिन्हांकन से लेकर काष्ठ परिवहन तक के समस्त
कार्यों का व्यय शामिल होगा।


(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,

म.प्र. शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2016

पृ0क्रमांक/एफ-25-13/2016/10-3
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन/लोक
निर्माण/वाणिज्य, उद्योग और रोजगार/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी/ नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
 4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।
 5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल।
 6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
 7. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।
 8. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ।


(Ram S. Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)


सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

3/3

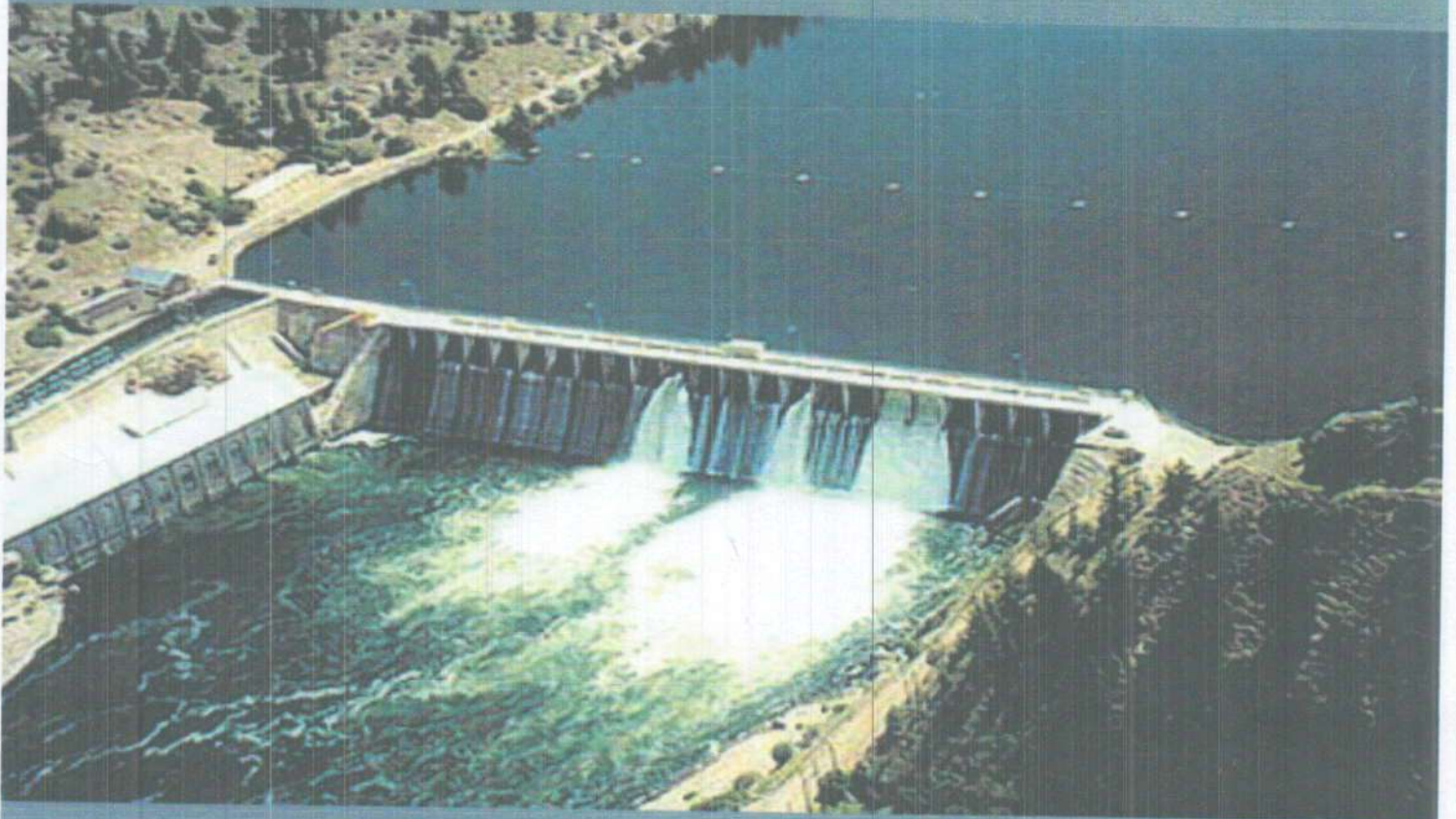


GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
WATER RESOURCES DEPARTMENT
BHOPAL (M.P)

CAT PLAN

पारिशीष्ट - 6

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF HIRAN
MEDIUM IRRIGATION PROJECT**



SEPTEMBER 2020

Consultant:

VOYANTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

403, 4th Floor, Park Centra

Sector - 30, NH - 8, Gurugram- 122 001, India

Tel: +91-124-4598200 (30 Lines), Fax: +91-124- 4019051,

E-mail: info@voyants.in

Website : www.voyants.in



**WATER RESOURCES DEPARTMENT, MADHYA PRADESH**

Project: Catchment Area Treatment Plan for Hiran Medium Irrigation Project, District Jabalpur, Madhya Pradesh

CAT Plan

monitoring committee as per the MoEFCC guidelines with its headquarters at Jabalpur may be constituted for the project for administrative guidance and smooth realization of targets.

1.13.3 Project Monitoring and Reporting Procedures

Meetings would be held every three months to resolve problems arising in plan implementation. A Joint committee may be formed with the Environment Cell of Project Proponent and State Forest Department; the team members must ensure implementation and monitoring of the CAT works and review the progress from time to time. Quarterly progress reports and completion certificates would be submitted to Project Proponent for evaluation and disbursement of finance. In addition, the work done should be published through public awareness campaigns. Visual and print media may be used to gain maximum benefit by beneficiaries. Such efforts would resolve conflicts which otherwise are potential sources for project delays.

1.14 SUMMARY OF COST OF WORKS

The cost of all works proposed in the CAT plan is enumerated in **Table 1.23**.

Table 1.23: Cost Estimate of CAT Plan for Forest Area

S. No.	Particulars	Amount (Rs. In Lac)
1.	Habitat treatment works under free draining catchment	
(a)	Normal afforestation (10 ha @ Rs. 184000/ ha)	18.4
(b)	Enrichment Plantation (20ha @ Rs. 132000/ ha)	26.40
(c)	High density energy plantation (10 ha @ Rs. 226000/ ha)	22.60
(d)	Pasture reclamation (5ha @ Rs. 150000/ ha)	07.50
(e)	Nursery support	16.00
	Sub- total (1)	90.90
2.	Soil and water conservation measures	
(a)	Bio-engineering measures (5ha @Rs125000/ha)	6.25
(b)	DSRM check dam (20no. @Rs 24000/ha each)	4.80
(c)	Wire crate check dam (5no. @ Rs52700/each)	2.64
(d)	Soil water regime improvement works (2 @Rs 250000 each)	5.00
(e)	Catch water drain (120RM @ Rs1870/RM)	2.244
(f)	Contour Bunding(100ha@6200/ha)	06.20
	Sub- total (2)	27.13
	Other Components of CAT Plan	
1	Implementation of Support Infrastructure Cost	4.00
2	Training and Extension Programme	1.00
3	Provision for Micro Plan	4.00
4	Documentation	2.00
5	Gender Support	4.00
6	Mobilizing user groups	1.00
7	Provision for Monitoring and Evaluation Activities	2.00
8	Provision for providing Environmental Services	5.00
9	Forest Protection	4.00
10	Capacity building	2.00
	Sub- total (3)	29.00
	Grand Total.	147.03
	Say Rs.	147..00

Page | 42

Rajiv
Sub-Divisional Officer
Water Resources Sub Division No.
KUNDAM, Distt -Jabalpur

[Signature]
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M. P.)

Revised 1.4

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्र/एफ-3/79/2016/10-11/9/39

भोपाल, दिनांक 4-10-20

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नई गाईड लाईन जो कि दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील होने के निर्देश एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-3/2019/10-11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 को आयोजित की गयी। बैठक में हिरन मीडियम टैंक प्रोजेक्ट के कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का परीक्षण करने पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ-3/79/2016/10-11/9/39, दिनांक 27.08.2020 से कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/2518/कार्य/2020 दिनांक 13.10.2020 से अवगत कराया है कि शुद्ध वनक्षेत्र 12.58 वर्ग कि.मी. उपचार हेतु उपलब्ध है। वनक्षेत्र 12.58 वर्ग कि०मी० के लिये जल ग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु राशि रु. 147.00 लाख की पुनरीक्षित एवं संशोधित डी.पी.आर. पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है।

अतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ-3/79/2016/10-11/9/39, दिनांक 27.08.2020 से कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की राशि रु. 5,55,50,000 की तकनीकी स्वीकृति एतद द्वारा निरस्त की जाकर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

क्र०	कार्य का नाम	रकबा वर्ग कि०मी० में	राशि (रुपये में)
1	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार	12.58	1,47,00,000
	जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये		14,70,000
	योग-	12.58	1,61,70,000

राशि रुपये एक करोड़ इकसठ लाख सत्तर हजार (जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की राशि रु. 1,47,00,000 एवं जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये 10 प्रतिशत की राशि रु. 14,70,000/-) प्रकरण में पूर्व में जारी की गई तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।

O/o The E.E. Hiran W.R.Div. JBP
SAC/EC/3/A/1,2,3,4,5,6/W.C./P.E./
Rev./EC/3/C.I.T.

15.10.2020

3642-01.16/10/2020

(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(Ram.S.Sharma)

Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

पृ. क्रं/एफ-3/79/2016/10-11/9/3495
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14-10-20

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
 3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
 5. वनमण्डलाधिकांरी, सा0 वनमंडल जबलपुर, मध्यप्रदेश, की ओर उक्त केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति रालग्न है। इस परियोजना की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने पर इस कार्य के लिए राशि की मांग कैम्पा शाखा से करें।
 6. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की राशि ई-पोर्टल पर कैम्पा मद में जमा करें।
- संलग्न:- अनुक्रमांक 4 एवं 5 के लिए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्र.

कार्य

दिनांक

प्रतिलिपि -

(1) उपरि उक्त अधिकारी जल संसाधन
उपसंभाग, क्र. 3 कुंडम की ओर आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) कैम्पा कक्ष- हिरन
जबलपुर की ओर जल संसाधन संभाग
आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।

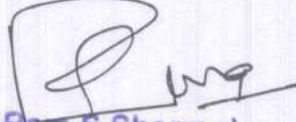

(Executive Engineer)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-7

शर्त- xv

The user Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir;

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु
वचनबद्ध।



(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

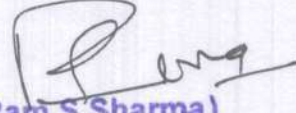


परिशिष्ट-8

शर्त- xvi

The user agency shall provide free water for the forestry related projects;

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु
वचनबद्ध।



(Ram.S.Sharma)

Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

FORM- II
Annexure II(For projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector, Jabalpur (M.P.)

No. 2149.

Dated : 26/11/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA - for short) on the forestland proposed to be diverted for, non - forest purpose. Read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that ^{54.87}~~53.43~~ hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Water Resources Department for Construction of **Hiran medium Tank Project** for irrigation purpose in Jabalpur District falls within jurisdiction of **Badhua, Badkur, Ghughra, Ghodatakan, Kuswadabra, Karanpura, Samnapur, Hadipani village** in Compartment No. 280, 282, 283 in Kundam Tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire ^{54.87}~~53.43~~ hectares forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub - Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha dwellers, who eligible under FRA.
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, A copy of certificate issued by the **Gram Sabha of Badhua, Badkur, Ghughra, Ghodatakan, Kuswadabra, Karanpura, Samnapur, Hadipani village (s)** is enclosed as annexure (s).
- The discussion and decisions on such proposals has taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The rights of primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FFA.

(Ram.S.Sharma)

Executive Engineer,

Hiran Water Resources Division

Jabalpur (M. P.)

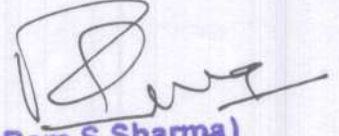
Collector
District Jabalpur(M.P.)

परिशिष्ट-10

शर्त- xx

Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Governmen:

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु
वचनबद्ध।



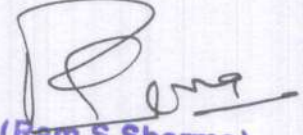
(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-11

शर्त- xxi

No construction of buildings / labour camp/ huts shall be allowed on the forest land:

उपयोगकर्ता एजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु
वचनबद्ध।



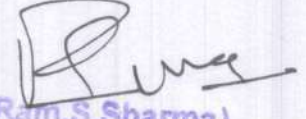
(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-12

शर्त- xxii

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department of person:

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध।



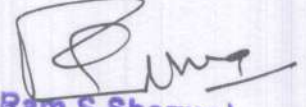
(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division,
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-13

शर्त- xxiv

User agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project:

उपयोगकर्ता एजेंसी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु
वचनबद्ध।



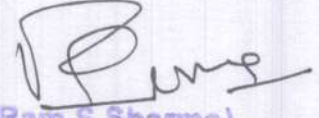
(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-14

शर्त- xxv

The user agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन विभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध।



(Ram.S.Sharma)

Executive Engineer,

Hiran Water Resources Division

Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-15

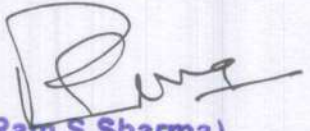
शर्त- xxvi

Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates:

उपयोगकर्ता एजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा उल्लेखित शर्त के पालन में वचनबद्ध होकर मुनारे बनाये गये हैं जिनके जी.पी.एस. कोर्डिनेट सलन है।

GPS READING OF FOREST AREA IN DAM LINE/ WASTE WEIR/ SUBMERGENCE (HIRAN DAM)		
	Co-ordinates	
S.NO.	Longitude	Latitude
1	80°20'50.177"E	23°15'32.316"N
2	80°20'43.365"E	23°15'34.095"N
3	80°20'42.546"E	23°15'35.305"N
4	80°20'40.373"E	23°15'40.979"N
5	80°20'38.935"E	23°15'43.25"N
6	80°20'35.458"E	23°15'40.152"N
7	80°20'30.877"E	23°15'39.005"N
8	80°20'30.093"E	23°15'42.757"N
9	80°20'36.389"E	23°15'47.761"N
10	80°20'35.876"E	23°15'49.032"N
11	80°20'40.169"E	23°15'52.334"N
12	80°20'45.913"E	23°15'49.683"N
13	80°21'26.144"E	23°16'11.101"N
14	80°21'28.461"E	23°16'17.365"N
15	80°21'21.322"E	23°16'15.075"N
16	80°20'38.701"E	23°15'58.771"N
17	80°20'39.484"E	23°15'59.62"N
18	80°20'34.469"E	23°16'1.781"N
19	80°20'28.938"E	23°16'3.053"N
20	80°21'14.774"E	23°15'28.691"N
21	80°21'20.945"E	23°15'37.185"N
22	80°21'25.647"E	23°15'37.213"N
23	80°21'31.98"E	23°15'37.349"N
24	80°21'38.092"E	23°15'35.08"N
25	80°21'48.241"E	23°15'35.213"N
26	80°21'47.952"E	23°15'28.076"N
27	80°21'55.629"E	23°15'24.626"N
28	80°22'2.478"E	23°15'25.058"N
29	80°22'10.861"E	23°15'25.383"N
30	80°22'10.285"E	23°15'20.961"N
31	80°22'3.908"E	23°15'20.997"N

32	80°22'1.383"E	23°15'16.985"N
33	80°21'58.76"E	23°15'15.9"N
34	80°21'52.545"E	23°15'20.622"N
35	80°21'51.612"E	23°15'17.322"N
36	80°21'44.698"E	23°15'18.827"N
37	80°21'43.608"E	23°15'23.872"N
38	80°21'36.337"E	23°15'26.457"N
39	80°21'32.4"E	23°15'30.979"N
40	80°21'25.287"E	23°15'28.4"N
41	80°21'23.889"E	23°15'24.676"N



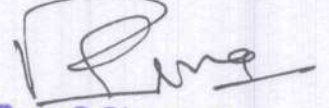
(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-16

शर्त- xxvii

The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future;

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।



(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-17

शर्त- xxviii

Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority:

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध ।



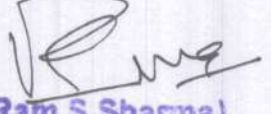
(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-18

शर्त- xxix

The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

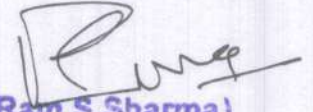

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

परिशिष्ट-19

शर्त- xxx

The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal (NGT) order(s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project;

उपयोगकर्ता ऐजेन्सी/विभाग हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध।



(Ram.S.Sharma)

Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)